27.6.97

नगर पालिका परिषद जौनपुर बोर्ड की बैठक दिनांक 27.6.97 (दिन शुक्रवार) अपरान्ह 4.00 बजे टाउन हाल पर हुयी, में उपस्थित माननीय सभासदों के नाम निम्नप्रकार हैं :-

1. श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव	अध्यक्ष,	
2 " दलगीरा	सदस्य	
3 श्री सतीशकुमार सोनकर	"	
4 " जगदीशकुमार सोनकर	"	
5 " रंजनकुमार मौर्य	"	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
6 श्रीमती दयावन्ती	"	
7 श्री श्याम बिहारी सेठ,	"	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
8 श्रीमती चम्पा देवी चौरसिया	"	
9 श्री राकेशकुमार यादव	"	
10 श्री कलन्दर यादव	"	
11 श्रीमती महरुलनिशा	"	
12 श्री अतुलकुमार सिंह "मुन्ना"	"	
13 श्रीमती निर्मला देवी	"	
14 श्री वकील अहमद मंसूरी	"	
15 कु० कुशला लालन	"	
16 श्रीमती मीरा देवी	"	
17 श्री प्रमोदकुमार गुप्ता	"	
18 श्री गुलाबचन्द्र शाह	"	

(सतीशचन्द्र मिश्रा)
अधिशासी-अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
जौनपुर
27.6.97

सन्ध्यारानी श्रीवास्तव
(संध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
जौनपुर
27.6.97

Scanned with OKEN Scanner

[redacted]
27-6-97

नगर-पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक 27.6.97 की कार्यवाही।

बैठक शुरू करने के पूर्व पालिका अध्यक्षा श्रीमती इन्द्रा-पती श्रीवास्तव ने उपस्थित मान्य सभासदों अधिकारियों का अभिनन्दन करते हुये बैठक की कार्यवाही शुरू करते हेतु श्री वीरेन्द्र यादव, आशुलिपिक को निर्देशित किया।

1. पिछली बैठक दिनांक 29-5-97 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली बैठक दिनांक 29.5.97 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि सदन में पढ़ी गयी, विचारोपरान्त सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2. उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट दिनांक 22-3-97 के भाग 3, खण्ड 'क' नगर प्रशासन के अन्तर्गत पूर्व बोर्ड की बैठक के प्रस्तावानुसार सिनेमा एवं सिनेमा हाली, एक्का, हाथ ठेला, वगैरह तथा टेलीफोन के खंभे, दूरदर्शन डिस्क केबिल, ~~आटे~~ आटा चक्की, स्पेलर, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य इमारती सामानों पर प्रस्तावित लाइसेन्स की स्वीकृत दरें, गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हैं, जिसे अब नगर क्षेत्र में कार्यान्वयन किया जाता है, सदन के सूचनार्थ।	प्रस्ताव संख्या 2 पढ़ा गया, जिस पर मान्य सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी ने प्रकाशित गजट के सम्बन्ध में जानकारी चाही, जिसे सदन में मा0 अध्यक्षा द्वारा बताया गया, जिसे विचारोपरान्त सर्वसम्मति से पारित किया गया।
3. जाँच समिति के सदस्य सर्वश्री प्रमोदकुमार गुप्त, गुलाबचन्द शाह, वकील अहमद मंसूरी का अनुरोध पत्र कि श्री राकेशकुमार यादव के वित्त कमेटी का अध्यक्ष चुने जाने पद से वे जाँच समिति के अध्यक्ष से हो गये हैं, अतः जाँच समिति के पूर्व अध्यक्ष, जो विगत दिन समिति के सभापति श्री जगदीशकुमार	प्रस्ताव संख्या 3 पढ़ा गया, जिस पर मान्य सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को लाने का क्या औचित्य है, इस पर मा0 अध्यक्षा की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने बताया कि चूँकि जाँच समिति के माध्यम से यह प्रस्ताव आया था, इसलिये

[redacted]
27.6.97

3. सोनकर जी से, की जाँच समिति का मनोनीत सदस्य बने रहने दिया जाय, सम्बन्धी प्रकरण परिषद के समक्ष निर्णयार्थ।	इसे सदन में रखा गया है, इस पर मान्य सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि मैं अपने कथित के ऐसे पत्र प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, इस पर मान्य सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी ने श्री जगदीश कुमार सोनकर, मान्य सभासद, को उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अवगत कराए दिया, तदोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
4. प्रस्ताव बावत नगर विकास - अनुभाग - 9, शासनादेश संख्या 1709/9-9-97/दशम दिनांक 15-5-97 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद को 15,19,087=00 का अनुदान, सफाई उपकरण, लोडर एवं डम्फर के क्रय तथा नालों की सफाई हेतु स्वीकार हुआ है, शासनादेश के प्रस्तर 3 में निहित निर्देशों के अनुसार स्वीकृत अनुदान 15,19,087/- का 25%, रु० 3,79,772/- बोर्ड को अपने अंशदान के रूप में मिलाना है, दोनों मिलाकर रु० 18,98,859/- व्यय करने तथा बोर्ड अंशदान का 3,79,772/- को वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में प्राविधान किये जाने हेतु परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव, सदन में पढ़ा गया। अधिशासी अधिकारी ने शासनादेश के संदर्भ को अवगत कराया, जिस पर विचार कर सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

5. जलनिगम विभागीय आख्या बावत नगर के गोमती नदी के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में टैंकर द्वारा पानी पहुंचाने का भाड़ा क्रमशः 100/- व 150/- था, को वर्तमान ईंधन/डीजल की मंहगाई को देखते हुये क्रमशः 150/- व 200/- कर दिया जाय, साथ ही जो टैंकर से पानी अपने घरों पर अपने पात्रों में भरकर तुरन्त टैंकर वापस कर देते हैं, का ईंधन का किराया 100/- कर दिया जाय, परिषद की स्वीकृति।	प्रस्ताव सदन में पढ़ा गया, जिस पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मंहगाई को देखते हुये तथा जनता पर अधिक भार न हो, इसलिये 150/- के स्थान पर 125/- तथा 200/- के स्थान पर 175/- निर्धारित करते हुए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

6- अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से - - -

(सतीश चन्द्र मिश्र)	(संध्या रानी श्रीवास्तव)
अधिशासी - अधिकारी,	अध्यक्ष,
नगर - पालिका परिषद,	नगर - पालिका परिषद,
जौनपुर	जौनपुर
27.6.17	27.6.17

Scanned with OKEN Scanner

27-6-97
~~29-5-97~~

नगर पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक 27.6.97 की पूरक कार्य सामग्री।

1. पालिका अवर-अभियन्ता (नि०) एवं अधिशासी-अधिकारी, नगर पालिका परिषद जौनपुर की सामूहिक आख्या बाबत गोमती प्रदूषण ईकाई (जल निगम) जौनपुर द्वारा रोड कटिंग चार्ज का रु (3.00) तीन लाख प्राप्त हुआ था, इस धनराशि में से 1,00,000=00 रोड कटिंग की सड़कों की मरम्मत पर व्यय हुआ, अवशेष रु० 2,00,000/- अपरिहार्य कार्यों के अन्य मदों पर व्यय पूर्व में हो गया था। गोमती प्रदूषण द्वारा काटी गयी सड़कों की मरम्मत हेतु 2,00,000/- सड़कों की मरम्मत के मद में प्राविधान करने एवं धन हस्तांतरित करने तथा निविदा मांगकर कार्य कराने के निमित्त अध्यक्ष महोदया द्वारा जनहित एवं कार्यहित में स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदन दिनांक 18-6-97 को दिया गया है, दरों हेतु निविदा मांगने के लिये दिनांक 18-6-97 को दैनिक मान्यवर समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया है, परिषद के समक्ष स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव सदन में पढ़ा गया, जिस पर माननीय सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी ने स्पष्ट जानकारी चाही, जिस पर अधिशासी-अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की, तदोपरान्त सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
2. आख्या लाईसेन्स निरीक्षक बाबत बोर्ड की बैठक दिनांक 29.5.97 के प्रस्ताव सं०-5, जिसके तहत वर्तमान मंहगाई को देखते हुए रिक्शा ~~के~~ भाड़ा में प्रस्तावित दरों जिसे पहले समाचार पत्र में जनता की जानकारी हेतु प्रकाशित करने	प्रस्ताव सदन में पढ़ा गया जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

27.6.97

2 एवं उस पर जनता से आपत्तियों व सुझाव लेने हेतु निर्णय लिया गया था, के क्रम में दिनांक 2-6-97 को दुकान किराया भाड़ा की प्रस्तावित दर का प्रकाशन 'तहलका' समाचार पत्र में प्रकाशित करा दिया गया है, किन्तु उस पर जनता की कोई न तो आपत्तियाँ और न ही सुझाव प्राप्त हुए हैं, ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 29.5.97 में प्रकाशित दुकान किराया भाड़ा वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदनार्थ।

3. आख्या राजस्व अधीक्षक दिनांक 24-6-97 प्रस्ताव पढ़ा गया। मान्य सभासद बावत टैक्सी बस स्टैण्ड आजमगढ़ रोड श्री वकील अहमद मंसूरी ने (पड़ाव) के तहबाजारी की नीलामी मा० उच्च कहा कि आजमगढ़ रोड पड़ाव न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की नीलामी से गतवर्ष में टेण्डर पद्धति से दिनांक 16-6-97 को की अपेक्षा इस वर्ष 2,50,800/- कराई गयी, जिसमें उच्चतम बोली श्री की एक मुश्त वृद्धि किये जाने रवीन्द्र प्रताप यादव, पुत्र श्री रामलाल यादव, पर, मा० अध्यक्ष, अधिशासी निवासी मो० रासमण्डल जौनपुर की 5,17,000/- अधिकारी एवं राजस्व-अधीक्षक रही, जिसे बोर्ड हित में अध्यक्ष महोदया को सदन के माध्यम से द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उक्त धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव बोली गतवर्ष की अपेक्षा 2,50,800/- को सर्वसम्मति से अनुमोदित अधिक है, प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष किया गया। अनुमोदनार्थ।

4. आख्या लाइसेन्स निरीक्षक दिनांक प्रस्ताव सदन में पढ़ा गया, 18-6-97 बावत बोर्ड की बैठक इस पर मान्य सभासद श्री वकील दिनांक 29.5.97 में श्री वकील अहमद अहमद मंसूरी ने कहा कि इस मंसूरी, मान्य सभासद द्वारा उठाये सम्बन्ध में मैं यह कहना गये प्रश्न के क्रम में लाइसेन्स चाहूँगा कि प्रस्तावित दुकान निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सुझावानुसार स्टैण्ड स्थल के बारे में निम्न स्थलों पर दुकान। इसका नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर को स्टैण्ड की व्यवस्था करके पानी निकासी अवगत कराया जाय,

27.6.97

आदि की व्यवस्था की जा सकती है, परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। यदि वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है तो स्टैण्ड स्थल पर पीने के पानी की तथा छाँव की व्यवस्था कर दी जाय, जिस पर सहमति देते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

टैक्सी स्टैण्ड स्थल :-

1. पीपराइ तिराहे पर।
2. किला गेट के सामने।
3. बदलापुर टैक्सी बस स्टैण्ड के पास।
4. इलाहाबाद टैक्सी बस स्टैण्ड के पास।
5. मिर्जापुर टैक्सी बस स्टैण्ड के पास तथा पालिटेक्निक चौराहे पर, पालिटेक्निक हॉस्टल से लगा।
6. शाहगंज रोड पर मो० हसन इन्टर कालेज के पास।

5. वित्तीय वर्ष 1997-98 के माह अप्रैल प्रस्ताव पढ़ा गया। चूँकि यह 97 एवं मई 97 के आय तथा व्यय प्रस्ताव वित्त समिति की का लेखा परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ दिनांक 26.6.97 को हुयी एवं अनुमोदनार्थ। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार लाया गया है, अतएव इसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

चर्चाकाल :-

श्री वकील अहमद मंसूरी, माननीय सभासद ने कहा कि पिछली बैठक में गोमती प्रदूषण इकाई नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर में की जा रही खुदाई कार्य को रोकने हेतु कहा गया था, इन्हें पत्र भेजा गया है कि नहीं, उसकी कोई कापी नहीं दी गयी है तथा टेलीफोन विभाग को पत्र लिखा गया है कि नहीं। इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उक्त दोनों विभागों को पत्र मेरे द्वारा भेज दिये गये हैं, उसमें यह लिखा गया है कि सड़क की खुदाई का कार्य तत्काल बन्द कर दिया जाय, यदि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा यदि कोई स्वीकृति दी गयी हो तो, उसे निरस्त किया जाता है तथा अब तक खुदाई किये गये सड़क की क्षतिपूर्ति हेतु भेजे गये बिल का भुगतान कर दिया जाय तथा जो सड़कें खुदी हैं, गड्ढे को भर दिया जाय।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी, माननीय सभासद ने कहा कि मो० लालपलला में जो पाउन्ड्री है, वह कम्पलीट हो गया है, तथा जानवरों का क्या रेट निर्धारित होगा (2) पालिका दुकानों के किराये की वसूली में 6.00 लाख बकाया है, क्यों स्थिति स्पष्ट की जाय।

इस पर राजस्व अधीक्षक ने बताया कि माननीय सभासद जी के संज्ञान में होगा, कि कोतवाली चौराहे पर किदवई पार्क के अगल बगल तथा शाही पुल पर आपातकालीन स्थिति के दौरान गुमटियां हटा दी गयी थी, किन्तु उनकी डिमाण्ड अभी भी चली आ रही है। यह डिमान्ड फाल्स है, उसे निरस्त करने का अधिकार आयुक्त महोदय को है, इसी प्रकार इन्दिरा मार्केट की दुकानों का मामला प्रीमीयम का था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि उसकी आर०सी० भेजी गयी थी, इसी कारण बकाया चला आ रहा है, मैंने बकाये के सम्बन्ध में रु० 3000/- तीन हजार से ऊपर के बकाये की आर०सी० बनवा दिया है, इस तरह उक्त बकाये का ~~[illegible]~~ रिअलाइजेशन सम्भव किया जायेगा जहाँ तक पाउन्ड्री के बारे में है अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा अवर अभियन्ता (निर्माण) को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द उसे बनवा दें तथा जानवरों पर क्या रेट निर्धारित होगा, उसके लिए अलग से प्रस्ताव आपके समक्ष लाया जायेगा।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी, माननीय सभासद ने कहा कि जो कर्मचारी, इस कार्य हेतु वसूली पर लगाये गये हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, जितनी भी इस प्रकार की फाल्स डिमान्ड हों, उसका विवरण तैयार कराकर बोर्ड की बैठक में रखा जाय, ताकि उसे निरस्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करके आयुक्त महोदय के यहाँ भेज दी जाय, साथ ही जाँच किन कर्मचारी द्वारा वसूली की जा रही है, वह लगन से कार्य कर रहा है अथवा नहीं, यदि नहीं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

इस पर अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जैसा कि राजस्व अधीक्षक ने आर०सी० के बारे में बताया है, उस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने आर०सी० जारी करना बन्द कर दिया है बल्कि इस सम्बन्ध में मैंने समाचार पत्र में बकायेदारों के बारे में सूचना प्रकाशित करा दिया है कि जिन भवन स्वामियों के ऊपर पालिका करों का बकाया है, वे स्वेच्छा से तत्काल जमा कर दें अन्यथा पालिका द्वारा

27.6.97

नोटिस जारी होने पर निर्धारित समय समाप्त होने पर ऐसे भवन स्वामियों का नाम, उनके खर्च पर विज्ञापन के जरिये रिकवरी, प्रकाशित किया जायेगा, इसके बाद भी यह बकाया नहीं जमा करेगा तो उनकी सार्वजनिक सम्पत्ति को नीलाम करेंगे, वहीं अन्य व्यय के रूप में उन्हें अदा भी करना होगा, इसी आशय से सम्बन्धित एक आदेश का निरीक्षकों। कार्यकर्ताओं को जारी कर दिया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, वेतन पर रोक लगा दिया जायेगा।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी, मान्य सभासद ने कहा कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि 15 जून से अभियान चलाकर टुल्लू पम्प हटाने तथा अवैध कनेक्शन काटने हेतु कार्यवाही की जायेगी, लेकिन ऐसी कोई कार्यवाई मुझे देखने को नहीं मिली। कृपया जलकल अभियन्ता बतायें कि क्या किसी के यहाँ पम्प हटाया गया है? और अभियान चलाया गया है अथवा नहीं। मेरा एक सुझाव है कि यह अभियान एक तरफ से पारदर्शिता से चलाया जाय, इस पर महाध्यक्ष जी ने कहा कि अब तक शादियों की और रमजान चेहल्लुम था, इसलिये ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन 1.7.97 से अभियान चलाया जाय तथा जो अवैध कनेक्शन कटे हैं और सड़क में गड्ढे पानी चले जाते हैं, उसे भी देखने हेतु जलकल अभियन्ता को निर्देश दिया और यह भी कहा कि प्राथमिकता के आधार पर यदि आवश्यक हो तो अलग से कर्मचारी लगाइें। अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि टैंकर से पानी उपलब्ध कराने हेतु मैंने श्री गुप्ता जी, अव० अभियन्ता (जल) को लिखा है कि पानी भेज दिया जाय।

आगे श्री जगदीशकुमार सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि कितने नलकूप हैं तथा कितने ऑपरेटर हैं तथा इनकी नियुक्ति कब से की गयी है? इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गयी, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कितने नलकूप ऐसे हैं जिन पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगाये गये हैं, इस पर अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर 26 मान्य सभासदों को जलकल अभियन्ता के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे।

आगे रिक्शा लाइसेन्स की चेकिंग के बारे में श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि लाइसेन्स निरीक्षक को सेवक की व्यवस्था करके उन्हें निर्देशित किया

27-6-97

जाय, कि वे इस इससे आधिक से आधिक वसूली किया करें।

प्रस्ताव संख्या 4 पर चर्चा करते हुए श्री वकील अहमद मंसूरी, मान्य सभासद ने कहा कि नालों के निकासी एक नाला मातसीला रोड पर है, इसके पूर्व उस नाले के लिये पैसा आया था लेकिन उसे नहीं लिया गया है, ~~[illegible]~~ जो पानी आज भी उधर से बहता है, गोमती प्रदूषण निमाण द्वारा टेंडरिंग बाद बतलाया गया, जिसे मैंने तोड़वाने के लिये कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वह कभी भी भर जायेगा, इसलिये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसे त्वरित कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा जाय।

आगे श्री अतुल कुमार सिंह "मुन्ना" मान्य सभासद ने कहा कि हमारे वार्ड में मोर्चा पुस्तकालय के ~~पास~~ मकान के पास एक नाला है, वह बिलकुल खराब हुआ पड़ा है, उसका निर्माण करा दिया जाय तथा इसके निर्माण हेतु स्टीमेट बनवा दिया जाय।

आगे श्री श्याम बिहारी सेठ, मान्य सभासद ने कहा कि हमारे ईसादुर वार्ड में पोल नं. 7 से जे०डी० नर्सिंग होम तक नाला की विधिवत सफाई करा दी जाय, नहीं तो बरसात में काफी दिक्कत होगी।

पूरक प्रस्ताव सं०-3 आजमगढ़ टैक्सी स्टैंड पड़ाव की हुयी नीलामी से अधिक आय रु 2,50,800/- होने पर, मान्य सभासदगण ने पालिका अध्यक्ष/ अधिशासी-अधिकारी/ राजस्व-अधीक्षक को धन्यवाद दिया, किन्तु आगे मान्य सभासद श्री वकील अहमद मंसूरी ने कहा कि इसमें मेरा एक सुझाव एवं निवेदन है कि पड़ाव पर वसूली करने वालों पर अंकुश लगाया जाय, क्योंकि प्रायः ऐसी शिकायत मिलती है कि अनर्गल तरीके से जनता को परेशान करके ठीका वालों से दौड़-दौड़ कर पैसा वसूला जाता है। अतएव राजस्व-अधीक्षक सभी पड़ावों की वसूली चेकिंग करें और अवैध रूप से ठेकेदार द्वारा की जा रही वसूली पर ~~[illegible]~~ कड़ाई-बरता जाय।

अन्त में मा० अध्यक्ष जी ने मीटिंग का समापन करते हुए कहा कि आज की यह मीटिंग बड़े सौहार्द एवं खुशनुमा माहौल में सम्पन्न

हुयी है, इसके लिये वास्तव में मैं अपनी ओर से तथा कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद देती हूँ।

(सतीशचन्द्र मिश्र)
अधिशासी-अधिकारी,
नगरपालिका जौनपुर
27.6.97

(सन्ध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगरपालिका
जौनपुर
27-6-97